न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/71/2022	2022/111	11.04.2022	14.11.2022

1. प्रदीप पुत्र शिवचरण पुत्र बंसीधर जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।
2. तेजसिंह पुत्र शिवचरण पुत्र बंसीधर जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. पूनम पुत्री स्व0 महेन्द्रप्रसाद जाति अहीर निवासी सिलारपुर पत्नी कुलदीप निवासी मकान नं0 496, नई कॉलोनी विजय बाग, नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर।

—असल अप्रार्थी

2. सतीश पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
3. पवन पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
4. नवनीत पुत्र रविन्द्र जाति अहीर निवासी सिलारपुर
5. रविन्द्र पुत्र महेन्द्रप्रसाद
6. सुरेन्द्र पुत्र महेन्द्रप्रसाद
7. बीना पुत्री महेन्द्रप्रसाद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
8. उप पंजीयक नीमराना
9. तहसीलदार नीमराना

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—
01. श्री प्रदीप गुप्ता —वकील प्रार्थी
02. श्री नरेश चौधरी —वकील अप्रार्थी सं0 1, 4 व 5

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 229/2021 बअनुवानी पूनम बनाम प्रदीप वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से सही न्याय की आशा नहीं है। हम प्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा में स्थगन आदेश जारी किया गया था। जो आज तक प्रभावी है। जिसका निर्णय आजतक नहीं किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के दिशा—निर्देशों के अनुसार एकतरफा में जारी आदेश का निस्तारण 60 दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक है। हमारे गांव का रहने वाला पवन पटवारी है जिसका पीठासीन अधिकारी के यहां आना जाना है। प्रार्थी द्वारा उक्त पटवारी के साथ पूनम को उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां आते जाते देखा है। पवन पटवारी गांव में ऐलानिया तौर पर कहता है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना से मेरे घरेलू तालूकात है। उक्त प्रकरण का निर्णय पूनम के हक में ही होगा। अप्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में श्री मकरध्वज एड0 नियुक्त है जो बार का अध्यक्ष भी है और राजनितिक प्रभाव है। जिस कारण उपखण्ड अधिकारी नीमराना से सही न्याय की आशा नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 ने लिखित जवाब व दौराने बहस निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी सही प्रकार से कार्य कर रहे है। प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए मौजूदा प्रा0पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश सही प्रकार से पारित किया है। प्रकरण तलवी में लगा हुआ है। जब तक सभी प्रतिवादीगण की तलवी ना हो जाये तब तक प्रा0पत्र का निस्तारण करना असंभव है। पटवारी पवन का पीठासीन अधिकारी के यहां आना जाना नहीं है। तमाम तथ्य गलत दर्ज किये है। मिन प्रार्थी की पटवारी हल्का से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। प्रार्थीनी ने मकरध्वज एड0 को अपना वकील नियुक्त कर रखा है। जिनका कोई राजनितिक प्रभाव नहीं है। ना ही उपखण्ड अधिकारी नीमराना पर प्रभाव है। पीठासीन अधिकारी सही प्रकार से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में स्थगन जारी किया हुआ है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1, 2 की तामील हुई है। पत्रावली शेष पक्षकारान की तलवी हेतु नियत है। प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 के प्रा0पत्र का जवाब आना शेष है। प्रतिवादीगण का जवाब प्रा0पत्र पेश होने पर ही टीआई प्रा0पत्र का निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा गलत व मनमानित तथ्य दर्ज किये गये है। श्री मकरध्वज एड0 बार नीमराना के अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने से न्यायालय हाजा में कोई प्रभाव हो यह कहना गलत है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में स्थगन जारी किया हुआ है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1, 2 की तामील हुई है। पत्रावली शेष पक्षकारान की तलवी हेतु नियत है। प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 के प्रा0पत्र का जवाब आना शेष है। प्रतिवादीगण का जवाब प्रा0पत्र पेश होने पर ही टीआई प्रा0पत्र का निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा गलत व मनमानित तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर